

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान)

दत्तकग्रहण / कोर्ट / 2023 / 696

दिनांक : 18/9/2023

अनुसूची 33

[दत्तक ग्रहण विनियम 2022 36 (2)]

दत्तक ग्रहण आदेश

राज्य : राजस्थान

भरतपुर

जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तक ग्रहण आवेदन संख्या :- कोर्ट / प्रा.पत्र / 47 / 2023

वर्ष :- 2023

दत्तक ग्रहण पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या : PrUT153070464

दत्तक ग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया ✓ का चिन्ह लगाए)

दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input checked="" type="checkbox"/>
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 56 (4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 2 (52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (पारिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 39(1), 56(1), और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	<input type="checkbox"/>

भाग 1

(क)

आवेदक का नाम और पता (भावी दत्तक पिता) :- श्री आशीष कुण्डलिया पुत्र श्री मनोहर प्रसाद कुण्डलिया निवासी 185, फेस नम्बर 02 वसन्त बिहार कॉलोनी देहरादून, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।

(ख)

मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में लागू नहीं) :- राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, सेवर मथुरा बाईपास रोड, सरसो अनुसंधान केन्द्र के पीछे गोलपुरा सेवर भरतपुर।

दत्तक ग्रहण आदेश

जिला बाल संरक्षण ईकाई का नाम और पता :- सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण
ईकाई, 261 राजेन्द्र नगर भरतपुर (राज.)।
राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण :- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा),
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर (राज.)

यह कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर द्वारा
जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के माध्यम से 28.07.2023 को दत्तकग्रहण का आवेदन
फाइल किया गया है और दत्तक ग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में
यथा उपबंधित जॉच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है।

यह कि आवेदकगण ने बालक को एक नया नाम देने के लिये एक शपथ पत्र दायर किया है
और सुझाया गया नाम गोविन्द कुण्डलिया है तथा तदनुसार बालक को पवन नाम के बजाय
गोविन्द कुण्डलिया से जाना जायेगा।

यह कि दत्तकग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गयी है और तदनुसार मैं,
श्री आशीष कुण्डलिया भावी दत्तक पिता जिनका रजिस्ट्रीकरण संख्या PrUT153070464 है,
के साथ बालक गोविन्द कुण्डलिया जन्मतिथि 30.08.2022 (बाल कल्याण समिति द्वारा
दत्तक ग्रहण के लिये विधिक रूप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की
अनुमति देता हूँ :

- (i) भावी दत्तक पिता अर्थात श्री आशीष कुण्डलिया पुत्र श्री मनोहर प्रसाद कुण्डलिया
दत्तकग्रहण के लिये पात्र और उपयुक्त पाये गये है (देश के भीतर दत्तकग्रहण के
मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त के आधार पर)।
- (ii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और
दत्तकग्रहण विनियम 2022 में यथा उपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया
है।
- (iii) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा
63 के अनुसार, गोविन्द कुण्डलिया नाम के बालक, जन्मतिथि 30.08.2022 जिसके
सम्बन्ध में आज दिनांक 18.09.2023 को एक दत्तकग्रहण आदेश जारी किया गया
है, दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों
के लिये इस प्रकार दत्तक पिता श्री आशीष कुण्डलिया पुत्र श्री मनोहर प्रसाद
कुण्डलिया की संतान बन जाएगा और दत्तक पिता बालक के पिता बन जाएंगे जैसे
कि बालक का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालक के
जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालक के सभी सम्बन्ध समाप्त माने जाएंगे और
दत्तकग्रहण आदेश द्वारा दत्तकग्रहण परिवार में सृजित सम्बन्धों द्वारा प्रतिस्थापित हो
जाएंगे।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तकग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक पिता का नाम और बालक की जन्मतिथि को समाविष्ट करते हुए विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेन्सी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाण जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

बालक परित्यक्त बालक है, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण ईकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए।

(लोक बंधु)

कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

दिनांक : 18/9/2023

दत्तकग्रहण / कोर्ट / 2023 / 697-702

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।

सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर।

अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी भरतपुर।

अध्यक्ष बाल कल्याण समिति भरतपुर।

दत्तक पिता श्री श्री आशीष कुण्डलिया पुत्र श्री मनोहर प्रसाद कुण्डलिया निवासी 185, फेस नम्बर 02 वसन्त बिहार कॉलोनी देहरादून, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।

रक्षित पत्रावली।

(लोक बंधु)

कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर